(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 10/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/57

बउनवान

चश्मुद्दीन आजाद काजी निवासी वार्ड नं. 03, काज्याटोडी, मांगरोल जिला बारां (राज.)

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 04.08.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 26.05.2025 को लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर मांगरोल जिला बारां में मोहल्ला काजियान टोडी में वक्फ जायदाद जो कि तकिया निर्धन शाह पीर मस्जिद के नाम से 70X40 वर्ग फुट पर अतिक्रमण हटाने हेतु दिनांक 01.09.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति तथा प्रार्थना पत्र पर क्या कार्यवाही की गई, इस संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के ऑनलाईन पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 16.07.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को जरिये सम्मन क्रमांक 572–573 दिनांक 16.07.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 572–573 दिनांक 16.07.2025 से तलब किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested

अपीलार्थी बावज[illegible]स्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, [illegible] कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/197–199 दिनांक 22.07.2025 से जवाब इस न्यायालय [illegible]वाते हुए अवगत करवाया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत मूल [illegible]ना पत्र कार्यालय उप[illegible] अधिकारी, मांगरोल के पत्रांक 509 दिनांक 01.09.2022 से तहसीलदार मांगरोल, थानाधिकारी मांगरोल एवं अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका मांगरोल को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। इस जवाब की एक प्रति अपीलार्थी को भी दी जाकर सूचित कर दिया गया है।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल से प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/न्याय/आरटीआई/2025/197–199 दिनांक 22.07.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाया जाकर प्रतिलिपि अपीलार्थी को भी दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 04.08.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.09.04 11:46:42 IST
Reason: SelfAttested